न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 65 / 2025

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

दायरा दिनांक: 13.05.2025

जीसीएमएस संख्या– 2025 / 138

1. तारामणी खोखर पुत्री भंवरलाल जाति जाट निवासिनी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

..............वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

..............प्रतिवादी

दावा धारा 88 आर0टी0 एक्ट एवं प्रा0 पत्र 136 एल आर एक्ट

उपस्थित:–

1. श्री रमेश कुमार बिस्सु अधिवक्ता वादीनी।
2. प्रतिवादी राजपैरोकार।

:-निर्णय:-

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीनी द्वारा दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रोही ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ की स्थायी निवासी है जिसके रोही ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ में खसरा संख्या 506 / 398 रकबा 2.4657 है0 सहखातेदारी में दर्ज स्थित है। वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में तारा पुत्री भंवराराम दर्ज है जबकि वादीनी का सही व वास्तविक नाम तारामणी पुत्री भंवरलाल है। अन्य राजकीय दस्तावेजों में भी वादीनी का सही नाम तारामणी पुत्री भंवरलाल ही दर्ज है।

वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादीनी की खातेदारी भूमि में वादीनी का नाम दुरस्त करवाना वादीनी के लिए आवश्यक है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम खारिया बड़ा के खातेदार तारा पुत्री भंवराराम का राजस्व रिकॉर्ड में नाम

अशुद्ध है जबकि अन्य दस्तावेजों में इनका नाम तारामणी खोखर पुत्री भंवरलाल खोखर है, जो सही है। अतः वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में तारा पुत्री भंवराराम के स्थान पर तारामणी खोखर पुत्री भंवरलाल खोखर किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधारकार्ड आदि में भी वादीनी का नाम में तारामणी खोखर पुत्री भंवरलाल खोकर अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

वादीनी का दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ में खसरा संख्या 506/398 रकबा 2.4657 है0 खातेदारी में दर्ज खातेदार तारा पुत्री भंवराराम के स्थान पर तारामणी पुत्री भंवरलाल दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी होकर निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

तारामणी बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 65 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री रमेश कुमार बिस्सु एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि रोही ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ में खसरा संख्या 506/398 रकबा 2.4657 है0 खातेदारी में दर्ज खातेदार तारा पुत्री भंवरराम के स्थान पर तारामणी पुत्री भंवरलाल दर्ज किया जावे।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 15 माह 07 वर्ष 2025**

उपखण्ड अधिकारी

सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये